शिक्षा नीति–20-20 और नेताजी की शिक्षा नीति में साम्य

डॉ० छोटू राम
एम०ए०, एम०एड०, नेट, पी०एच०डी०
ई–मेलः cramchaaran@gmail.com

डॉ० संजीव कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग)
एस०वी०एस०यू० मेरठ (उ०प्र०)
ई–मेलः sanpilana@gmail.com

सारांशिका

स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार देश में ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के भारतीय करण के साथ उसको पहले कह तुलना में अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिस पर नेताजी गत शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में अपना दृष्टिकोण प्रकट कर चुकेथे। इस शिक्षा नीति में कहीं न कहीं नेताजी का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि नेताजी जीवित होते तो निश्चित ही इस नीति का प्रबलता के साथ समर्थन करते। इस शिक्षा नीति में नेताजी के उन शैक्षिक आदर्शों की प्रतिध्वनि भी निहित है जैसा वे चाहते थे और इस दिशा में वे प्रयास आरम्भ भी कर चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए शिक्षा उपाधि वितरण का साधन नहीं है। न ही वे शिक्षा को सूचनासापेक्ष मानते थे। उनके लिए शिक्षा मानव के भीतर घटित होने वाली एक क्रांति है जो उसको मानव से सार्थक मानक की ओर अग्रसारित करती है। नेताजी ने कभी शिक्षा नियोजन पर कोई विशेष पुस्तक या विधिवत अभिलेख तैयार नहीं किया था, पर उनके पत्रों, भाषणों तथा पुस्तकों में शिक्षा के प्रति उनका जो दृष्टि कोण प्रकट हुआ है और उसके आधार पर पहले बंगाल में और फिर पूर्वी–दक्षिणी एशिया के देशों में उनकी प्रेरणा से विद्यालय स्थापित करने का क्रम चला,उसको नेताजी की शिक्षा नीति कही जाती है। उनकी शिक्षा नीति पर आधारित विद्यालयों की स्थापना एक असाधारण प्रयोग था। शिक्षा के प्रति नेताजी के विचारों को समन्वित रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया और जिस संस्था के संचालन में ये विद्यालय स्थापित किए गए थे उसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का नाम दिया गया था।

मुख्य शब्द : नवोदय विद्यालय के छात्र, व्यक्तित्व आवश्यकताओं के विभिन्न स्तर, शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना–सामाजिक संबद्धता और राष्ट्रीय एकीकरण स्वस्थ शैक्षिक परिवेश की एक वचनबद्धता है। इसका पालन नेताजी ने भी किया और नई शिक्षा नीति में भी ऐसा दिखाई देता है। वर्तमान में शिक्षा द्विमुखी नहीं रह गई है। पहले शिष्य तथा शिक्षक के मध्य ज्ञान सम्प्रेषण की क्रिया को शिक्षा समझा जाता था। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो गई है। शिक्षा ने त्रिमुखी रूप ग्रहण कर लिया है। अब शिक्षक के अधिक बाहरी परिवेश छात्र को अधिक प्रभावित करने लगा है। ऐसे में, शिक्षा को केवल संस्थाओं की दिवारों में कैद नहीं किया जा सकता। इस कारण नई शिक्षा नीति में ऐसे युवा वर्ग के निर्माण की कल्पना है जो प्रेम तथा परस्पर सौहार्द्र के राजदूत की भांति कार्य करें। नेताजी भी यही कहते थे कि शिक्षित युवा समाज की संकीर्ण सोच को उदार भाव में परिवर्तित करने का कार्य करें।

शिक्षा के मानववादी समाजीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में शिक्षा राजनीति का एक खिलौना रही। नई शिक्षा नीति राजनीति से निरपेक्ष भाव रखती है और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक वचनबद्धता को पूर्ण करती है। सन 1972 में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि शिक्षा का लोकतंत्र में बालक का समग्र विकास करना प्रमुख ध्येय है,इसके साथ ही शिक्षा द्वारा बालक को इस वचनबद्धता से भी परिचित करना है।

यदि नेताजी की शिक्षा के प्रति दृष्टि कर अवलोकन करते हैं तो मुख्यतः निम्न बिंदुओं को विशेष रूप से रखा जा सकता है–

1. शिक्षा का विशुद्ध भारतीयकरण
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
3. गौरवशाली अतीत के प्रति आस्था उत्पन्न करना
4. अध्यात्म और संस्कृति को महत्व
5. पुस्तकों का बोझ कम
6. प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक शिक्षा पर बल
7. विषय चयन का अधिकार छात्र का
8. छात्र को आधुनिक तकनीक का विशेष ज्ञान देना अनिवार्य
9. शिक्षण संस्थाएं उत्पादन कार्यशालाएं भी हो
10. चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल
11. अरुचिकर अध्यापन विधि के स्थान पर सहज, साक्ष्य सापेक्ष और प्रभावी विधि का प्रयोग
12. प्रयोजनात्मक शिक्षा
13. शिक्षकों की योग्यता का प्राथमिक मानक उनका चरित्र, सुसंस्कृत व्यवहार और शिक्षा प्रसार के प्रति उनका आत्मिक लगाव
14. आधुनिक विषयों की भी जानकारी देना
15. उच्च कोटि के शोध कार्य पर विशेष बल

उपर्युक्त तत्वों को नेताजी के भाषणों, लेखों तथा पत्रों में शिक्षा के प्रति उनकी दृष्टि के आधार पर संग्रहित किया गया है, इसके

साथ–साथ उन विद्यालयों की कार्यशैली को जानने का प्रयास किया जो नेताजी की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित किए गए थे। सन 2017 में प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था उनसे कहा गया था कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करें। इस सीमित द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के प्रारूप को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 कहा जाता है। इस शिक्षा नीति में नेताजी के शिक्षा से सम्बंधित विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अध्ययन की दृष्टि से हमने नेताजी की शिक्षा नीति को 15 बिंदुओं में विभक्त किया है। यदि इन बिंदुओं को नई शिक्षा नीति के समग्र प्रारूप में देखते हैं तो वही भावना तथा कार्यविधि दिखाई देती है, जिसके पक्षधर नेताजी थे।

नेताजी भारत की मुख्य समस्याओं में शिक्षा को सम्मिलित करते थे। उनका मानना था कि जब तक देश का प्रत्येक बालक शिक्षित नहीं होगा, देश विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना आवश्यक है। इस संकल्प को हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देख सकते हैं। शिक्षा नीति–2020 एक व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम की रूप रेखा है, इसमें अभी तक विद्यालयों से वंचित दो करोड़ बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए तीव्र गति ने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इसमें अब तक शिक्षा से दूर रहे 3–6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।

नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और तीन साल की आंगनवाड़ी होगी, इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए तीन साल की प्री–प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवी क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानि 6–8 कक्षा में विषय परिचय कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, पाँचवी और आठवी कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख समग्र विकास के लिए कार्य–प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक.–निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

अभी तक प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो अध्ययन सामने आ रहे थे, उनसे यह ज्ञात होता था कि बच्चों को पुस्तक वाचक तथा संख्यात्मक ज्ञानल उचित प्रकार से नहीं हुआ है। साक्षरता के लिए ये दोनों ही मूलाधार हैं। नई शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है, यह आवश्यक भी है। इससे पहलें किसी भी आयोग तथा नीति में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं किए गए। मनोवैज्ञानिक आधार पर एनसीईआरटी आठ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा।

नेताजी बार–बार इस बात पर बल देते थे कि बच्चों को शिक्षा उनकी मातृ भाषा में दी जानी चाहिए। वर्णित शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उसी भाषा में हो, जो बालक की परिवेशगत भाषा हो। यदि किसी अन्य भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो उसे नेताजी से विसंगत शिक्षा का नाम दिया है जो किसी भी मूल्य पर उपयोगी नहीं है और न ही वह बच्चों को सरलता के साथ ग्राह्य होती है।शिक्षा नीति–२०२० में भरत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से संरक्षित करने का संकल्प लिया गया है, यह प्रयास अति सुखद है और भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने वाला भी है। यही नेताजी की इच्छा थी कि भारतीय भाषाओं की अवहेलना शिक्षा के मंदिरों में न हो।

एक अन्य तथ्य जो नई शिक्षा नीति में हैं और वे नेताजी की शिक्षा योजना के अनुरूप है, जिसमें शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के मध्य अंतर नहीं किया जाएगा। यह नेताजी का भी विचार था। वे मानते थे कि विद्यालय से निकलने के पश्चात छात्र में विशेष व्यावसायिक योग्यता का होना भी अनिवार्य है ताकि वह कहीं सरलता के साथ नियोजित हो जाए या फिर स्वरोजगार कर ले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका विशेष ध्यान दिया गया है। इससे बालकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि विकसित होगी और देश को प्रत्येक स्तर का कौशल प्राप्त होगा। नेताजी का कहना था कि युवाओं में कौशल विकास परम आवश्यक है। यदि हमारे युवा तकनीकी क्षेत्र में कुशल नहीं होंगे तो आर्थिक विकास बाधित होगा।

एक ओर प्रावधान नेताजी की शिक्षा नीति के अनुरूप है कि शिक्षा को सार्वभौमिक तथा सर्वव्यापी स्वरूप में देखा जाना चाहिए। यह शासन का दायित्व है कि कोई भी किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस शिक्षा नीति में वंचित समूहों को समग्र शिक्षा से जोडने के प्रयास भी किए जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए केवल पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं होती,उसके लिए कुशल तथा प्रभावी शिक्षण की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए इस नीति में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों को सन 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तक विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर दी जानी चाहिए। इस शिक्षा नीति में एक आधुनिक दृष्टि को भी देखा जा सकता है। कक्षा छह से ही बालक–बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो विद्यार्थी इच्छुक होंगे, उनको इंटर्नशिप में कराई जाएगी, यह एक उत्तम प्रयास है। इससे छात्र में कार्यक्षमता का विकास होगा और देश को कुशल श्रम की प्राप्ति होगी। इससे देश की कृषि से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक परिवर्तन आएगा तथा देश में विकास का उत्साहमय वातावरण विकसित होगा।

इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में प्रथम बार नवीन आयामों को

जोड़ा है । इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढने या छह सेमेस्टर पढने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो भी विद्यार्थी ने जितना समय अध्ययन किया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में एक साल के बाद प्रमाण पत्र, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन–चार साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, इससे उन छात्रों को बहुत लाभ होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये स्वतंत्रता भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं, जो छात्र शोध करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो एक साल के एमए के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। शोध कार्य को अधिक प्रमाणित तथा अनुसंधानात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह शोध कार्य को वैश्विक स्तर का बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा नीति में शोध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेताजी शोध कार्य को विस्तार देने के लिए सदा बल देते रहे। उनका कहना था कि बिना शोध के देश को वास्तविक तथ्यों का ज्ञान नहीं होता, जिसके अभाव में विकास की बनाई गई योजना सुफल प्रदान नहीं करतीं। शोध कार्य समाज को नवीन दृष्टि भी प्रदान करता है। नई शिक्षा नीति में शोध की गुणवता को स्वीकार किया गया है और ऐसे प्रावधान की व्यवस्था गई है जिससे शोध कार्य की उच्चता बनी रहे। नेताजी स्वामी विवेकानंद के इस कथन से बहुत प्रभावित थे कि देश का भविष्य महादलित तथा अतिवंचित वर्ग के हाथों में होगा। वे इस वर्ग की शिक्षा में सर्वाधिक सहभागिता के लिए प्रयासरत रहे। नई शिक्षा नीति में समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। संस्तुतियों में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को शुल्क चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ़्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय

शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन तकनीक को अपनाना इस शिक्षा नीति का संकल्प है। ऐसा ही नेताजी भी कहा करते थे। उनका कहना यहां तक था कि यदि नवीन तथा नव विकसित तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं है तो छात्रों को विदेशों में भेजा जाना चाहिए ताकि वे वहां से ज्ञान प्राप्त कर भारत आएं और देश को नवीन ज्ञान प्रदान करें।

नेताजी की दृष्टि में शिक्षा केवल आत्म–कल्याण का विषय नहीं है, यह लोकसेवा का माध्यम भी है। छात्रों को सदा लोकसेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। इन शिक्षा नीति में महामारी और वैश्विक महामारी के कारण प्रभावित होने वाली शिक्षा व्यवस्था पर भी विचार किया गया है और उसका समाधान निकालने का प्रयास हुआ है। इसके लिए डिजिटल अवसंरचना, कंटेट तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रथम अभिकरण की स्थापना की योजना तैयार की गई है। सबसे सुखद बात यह है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को सबल करने और अधिक से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की संस्तुति की गई है।

यह आश्चर्य की बात है कि राष्टीय शिक्षा नीति तथा नेताजी की शिक्षा नीति में आश्चर्यजनक साम्य है। इसमें भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने तथा शिक्षा में उसको सम्मिलित करने की व्यवस्था रखी गई है। संस्कृति अध्यात्म का विकसित रूप है। मूल अध्यात्म है जो संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। यदि संस्कृति को शिक्षा में स्थान देने की बात होगी, तो निश्चित ही अध्यात्म को भी महत्व दिया जाएगा। ऐसा ही नेताजी के युवा–संकल्पों से अभिव्यक्त होता है। जब नेताजी का प्रवेश प्रेसीडेंसी कालेज में हुआ तो उनकी वैचारिकी में काफी परिवर्तन आने लगा था। पूर्व कल्पित विचारों को तार्किक आधार मिलने लगा और वें अपने विचारों पर पहले से अधिक दृढ़ होते चले गए। वे अपनह आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंले अपने लिए कुछ निश्चित निर्णय कर लिए थे, यह कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं लीक पर चलने वाला नहीं हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और मानव के उत्थान में सहायक जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करूंगा जिससे मैं जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकूँ, जहाँ तक व्यावहारिक जीवन में सम्भव हो।यह सत्य है कि बिना आध्यात्मिकता को अनुभूत किए,मानव की सेवा नहीं हो सकती। शिक्षा का प्रयोजन मानव सेवा ही है। अध्यात्म के लोक–सेवा प्रयोजन को नेताजी भली प्रकार से समझते थे। इसलिए वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हमारी यह दृढ़ आस्था बन गई थी कि प्रभावशाली राष्ट्र सेवा के लिए अरध्यात्मिक आलोक की अनिवार्य आवश्यकता है।

स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक ऐसा शिक्षा का प्रारूप है जो भारतीय भाषाओं को सम्मान प्रदान करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली का वातावरण निर्मित करता है। इस विशाल तथा महत्वाकांक्षी योजना को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के पश्चात देश की शिक्षा नीति में यह प्रथम तथा व्यापक बदलाव है। इस नीति की यह विशेषता है कि यह सर्वशिक्षा अभियान तथा क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण की भावना से परिपूर्ण है। कोठारी आयोग की संस्तुतियां भी भारतीय भाषाओं

को शिक्षा के माध्यम से जोडने के लिए थी, इनके पश्चात सन 1968 की शिक्षा नीति में भी इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया था कि शिक्षा का प्रभावी माध्यम मातृभाषा ही होती है। लेकिन राजनीतिक कारणों से इन संस्तुतियों पर अमल नहीं किया गया है। लेकिन अब आशा है कि सरकार इस नीति को पूर्णता लागू करेगी। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत भाग सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि मंत्रालय का नाम बदला गया। जैसाकि पहले भी कहा गया है कि मानव कभी संसांधन नहीं हो सकता, वह साध्य होता है, संसाधन उसके जीवन में गुणवत्ता बनाने के लिए होते हैं। इसलिए मोदी सरकार द्वारा नाम परिवर्तन उचित है।

नेताजी इस सत्य को समझ चुके थे कि भारत में शिक्षा को भारतविरोधी तथा साम्प्रदायिक बना दिया गया है जिसमे भारत के मान बिंदुओं का घोर अपनाम किया जाता है। आजादी से पहले ईसाई मिशनरी स्कूलों में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का उपहास उठाया जाता था। भारत के पूर्व राष्टपति राधाकूष्णन के साथ ईसाई स्कूल की घटना तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के भारत विरोधी रुख प्रकट करती है। वे किसी छोटे ईसाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वहां के ईसाई शिक्षक हिंदू धर्म के प्रति द्वेषपूर्ण बातें किया करते थे। स्कूल में बच्चों को बाइबिल तो पढ़ाई जाती थी, लेकिन हिंदू धर्म का उपहास भी किया जाता था। बालक राधाकृष्णन को यह सहन नहीं होता था। वे बालक थे, उस समय तक उनको हिंदू धर्म के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके मन में अपने धर्म के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन आरम्भ किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म अधिक उदार , वैज्ञानिक तथा तार्किक है। इस घटना से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। विदेशी अनुदान से चलने वाले पंथीय विद्यालय शिक्षा को धर्मांतरण का साधन मानते हैं। जबकि शिक्षा का मूल ध्येय उदार तथा मानवीय गुणों से युक्त मानव का निर्माण करना है। इसलिए नेताजी कहा करते थे कि शिक्षा का संस्कृतिकरण आवश्यक है। इससे बच्चों में भारतीय संस्कार जो प्रत्येक प्राणी में अपनत्व का अनुभव करते हैं, दिए जा सकते हैं और अन्तराष्ट्रीय सोच तथा धर्मांतरणकारी प्रवृतियों से बचा जा सकता है। नई शिक्षा नीति में संस्कृति प्रधान शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

भारत में शिक्षा का घोर साम्प्रदायिक चेहरा देखा जा सकता है। शिक्षा का विभाजन कभी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक विद्यालय के नाम पर नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो देश में भावनात्मक विभाजन पैदा हो जाता है। इस विषय पर देश का चिंतित होना अति आवश्यक है। नेताजी प्रखर हिंदू थे, लेकिन सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे। जिस समय नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने साम्प्रदायिक समस्या को दूर करने के लिए अनेक पत्र लिखे। एक पत्र में जो उन्होंने 14 मई, 1938 में लिखा था, उसमें कहा था कि हम सब भारतीय है किसी भी एक दल को किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। वही भारत उनके जीवन का अनिवार्य अंग रहा। लेकिन शिक्षा में मातृ–संस्कृति की शिक्षा देना भी आवश्यक है, इसको वे भली प्रकार समझते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृति राष्ट्र–बोध का प्रतीक है और उसकी अस्मिता है। इसी अस्मिता को शिक्षा के सम्मिलित करने का क्रांतिकारी प्रयास नई शिक्षा नीति–2020 में किया गया हैं।

करने के लिए अनेक पत्र लिखे। एक पत्र में जो उन्होंने 14 मई, 1938 में लिखा था, उसमें कहा था कि हम सब भारतीय है किसी भी एक दल को किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। वही भारत उनके जीवन का अनिवार्य अंग रहा। लेकिन शिक्षा में मातृ–संस्कृति की शिक्षा देना भी आवश्यक है, इसको वे भली प्रकार समझते थे। उनकी दृष्टि में संस्कृति राष्ट–बोध का प्रतीक है और उसकी अस्मिता है। इसी अस्मिता को शिक्षा के सम्मिलित करने का क्रांतिकारी प्रयास नई शिक्षा नीति–2020 में किया गया हैं।

किसी भी बालक का समाजीकरण बाल्यावस्था में भी आरम्भ हो जाता है। इसमें शिक्षा प्रणाली का गहरा संबंध है। पंथवाद एक संकुचित दृष्ठिकोण है, अभी तक शिक्षा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। यहाँ तक इतिहास को भी भ्रामक तरीके से लिखा जाने लगा। डा. मनमोहन सिंह के शासनकाल में भरतीय संस्कृति पर प्रहार करने वाले प्रक्षिप्त अंशों को शिक्षा का आधार माना गया था। भारन्त के महान महापुरुषों तथा तथ्यों को अति अपमानित तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा। वैसे तो स्वतंत्रता के पश्चात से ही यह क्रम आरम्भ हो गया था। लेकिन सन 1973 के पश्चात शिक्षा में विकृतियों का संगठित प्रयास किया जाने लगा। प्रो. नुरुल हसन शिक्षा मंत्री बनें। उन्होंने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन किया और वे प्रसंग भारतीय पाठय् पुस्तकों में सम्मिलित कर दिए गए जो हमारे परमआदरणीय महापुरुषों की छवि को खराब करते थे। जैसा कि प्रो. सतीश चंद्र की एक पुस्तक जो कक्षा ग्यारह के लिए एनसीआईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसमें गुरु तेग बहादुर जैसी दिव्य विभूति के लिए अति आपत्तिजनक बातें लिखी गईं। पुस्तक में लिखा गया कि गुरु तेग बहादुर ने असम से लौटने के बाद शेख अहमद सरहिंद के एक अनुयायी हाफिज आमिद से मिलकर पूरे पंजाब में लूटमार मचा रखी थी और सारे प्रांत को उजाड़ दिया था। गुरु को फांसी उनके परिवार के कुछ लोगों की साजिश का नतीजा थी। जिसमें उनके परिवार के कुछ लोग शामिल थे, जो गुरु के उत्तराधिकारी के विरुद्ध थे। किंतु यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से इसलिए भी नाराज था, क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों को सिख बना लिया था। यह तो केवल एक उदाहरण है। भारतीय पाठ्य पुस्तकों में अभारतीय तथा आस्था विरोधी सामग्री को सम्मिलित करने को ही

पंथनिरपेक्षता का नाम दिया जाने लगा था। जब श्री अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनें, और मानव संसाधन मंत्रालय का कार्यभार डा. मुरली मनोहर जोशी को दिया गया तो अति आपत्तिजनक सामग्रियों को पाठ्यक्रम से निकालने का क्रम

आरम्भ हुआ। इस पर शिक्षा का भगवाकरण का आरोप लगाया जाने लगा।

नई शिक्षा नीति में ऐसी सारी शंकाओं तथा साजिशों से शिक्षा को मुक्त कर दिया है जो भारतीय युवाओं को अपने ही धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्र के प्रति भ्रमित तथा अनास्थावान बना रही थीं । नेताजी एक पंथनिरपेक्ष महानायक थे। लेकिन राष्ट्र की मूल संस्कृति तथा आध्यात्मिक चेतना के प्रति भी अति जागरूक थे। अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए सभी धर्मों के प्रति आदर भाव उनका ध्येय था। इस कारण वे चाहते थे कि हिंदू छात्र अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को जाने तथा उस पर गर्व करे। यह किसी भी राष्ट्रीय की अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य भी है। जो देश अपने अतीत को विस्मृत कर देता है, वह जीवित नहीं रह सकता। स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में संकीर्ण दृष्टि बनी रही। जिसकी हानि यह हुई कि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से भारतीयता के उव्च मानकों में संस्कारित नहीं हो पाई, और देश में जातिवाद, सम्प्रदायवाद और अनास्था का परिवेश निर्मित होने लगा। यह अत्यंत खेद का विषय है कि भारत में समाज को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा के आधार पर दो छोर बिंदुओं में विभक्त कर दिया गया, इसको सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन का ध्रुवीकरण कह सकते हैं।

एक व्यक्ति के नाते, परिवार के सदस्य के नाते, समुदाय, नागरिक और उत्पादक के नाते, नए आविष्कार के नाते एवं सृजनात्मक व्यक्ति के नाते और मधुर स्वप्नें से ओत–प्रोत आशावादी के रूप में। यही संकल्प हमें नई शिक्षा नीति में दिखाई देते हैं जो नेताजी की वैचारिकी के निकट हैं। वे शिक्षा को राष्ट्रीय पुननिर्माण का आधार मानते थे। इसलिए घोर संकटों के मध्य भी वे शिक्षा सम्बंधित कार्य करते रहे।

नेताजी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देते थे, साथ ही यह भी कामना करते थे कि भारत की शिक्षा का स्तर वैश्चिक होना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के वे प्रबल समर्थक थे। साथ ही उनका कहना था कि छात्र अपनी इच्छा से ही विषय का चयन करे। ये सारी भावनाएं नई शिक्षा नीति में सम्मिलित हैं। सरकार प्रयास करेगी कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय परिसर हों, साथ ही शोध कार्य की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को निश्चित करने के लिए पृथक अभिकरण की स्थापना होगी। शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा।

नेताजी यह मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का समग्र तथा समुचित विकास पाठशालाओं से होता है। सामाजिक संबद्धता, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, सांस्कृतिक स्वीकृति, मानवतवादी दृष्टिकोण, तर्क के अनुसार चिंतन, राष्ट्रीय के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजनीतिक गतिविधि आदि शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। राष्टड्डीय शिक्षा नीति–2020 में हम नेताजी की इस भावना के दर्शन कर सकते हैं। वस्तुतरू नेताजी के आदर्श और विचार कालजयी हैं। उन्होंने राजनीति, व्यवस्थागत विषयों सहित विविध मुद्दों पर अपना सुस्पष्ट तथा सुविचारित विचार रखें हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राजनीति में उनके अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य राजनेता नहीं है जिसने बहुपक्षीय चिंतन किया हो।

के अनुसार चिंतन, राष्ट्रीय के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजनीतिक गतिविधि आदि शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० में हम नेताजी की इस भावना के दर्शन कर सकते हैं। वस्तुतरू नेताजी के आदर्श और विचार कालजयी हैं। उन्होंने राजनीति, व्यवस्थागत विषयों सहित विविध मुद्दों पर अपना सुस्पष्ट तथा सुविचारित विचार रखें हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राजनीति में उनके अतिरिक्त दूसरा कोई अन्य राजनेता नहीं है जिसने बहुपक्षीय चिंतन किया हो।

संदर्भ सूची :

1. तरुणाई के सपने–सुभाषचंद्र बोस, पृ. 113
2. सुभाषचंद्र बोस–भाषणों में – सम्पादक – दिनेश वत्स, पृ. 67
3. सुभाषचंद्र बोस और उनके भाषण– एक आलोचनात्मक अध्ययन– डा. पूनम थांकी, पृ. 205
4. महानायक–लेखक विस्वास पाटिल– पृ. 34
5. आजाद हिंद फौज– लेखक दिनकर कुमार, पृ. 175 पर संकलित पत्र के अंश
6. नेताजी सम्पूर्ण वांग्मय, खंड प्रथम, पृ. 16
7. अजाद हिंद फौज– लेखक –दिनकर कुमार, पृ. 31
8. नेताजी सम्पूर्ण वांग्मय, खंड प्रथम, पृ. 55
9. नेताजी सम्पूर्ण वांग्मय, खंड प्रथम, पृ. 55
10. सुभाष के अनमोल वचन– दलीप देव पावन , पृ. १७
11. नेताजी के सपनों का भारत – लेखक श्रीकृषण सरल, पृ. 68 पर उल्लेखित विचारों के अंश।